संख्या-710/2025/3409/22-2-2023-17(1228)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री कालीचरन, चमन नगरीया, थाना-अलीगंज, जनपद-एटा का निवासी है। दिनांक 11/12.03.2008 को लूट के उद्देश्य से बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों, फरसा, लोहे की सरिया एवं बन्दूक की बटों से मारकर 06 लोगों को घायल कर दिया व डकैती डालकर दस लाख के पुश्तैनी कीमती जेवर व अन्य सामान साथ ले गये। दिनांक 24.03.2008 को गम्भीर रूप से घायल सुरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-193/2008 में भा0द0वि0 की धारा-396, 412 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-03, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 20.09.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.04.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी के स्वस्थ होने, कारित अपराध जघन्य होने व सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11/12.03.2008 को लूट के उद्देश्य से बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों, फरसा, लोहे की सरिया एवं बन्दूक की बटों से मारकर 06 लोगों को घायल कर दिया व डकैती डालकर दस लाख के पुश्तैनी कीमती जेवर व अन्य सामान साथ ले जाने एवं दिनांक 24.03.2008 को गम्भीर रूप से घायल सुरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजय पुत्र कालीचरन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय (बन्दी संख्या-26711) पुत्र श्री कालीचरन, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-710/2025/3409(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-710/2025/3409/22-2-2023-17(1228)/2023

दिनांक 30 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री कालीचरन, चमन नगरीया, थाना-अलीगंज, जनपद-एटा का निवासी है। दिनांक 11/12.03.2008 को लूट के उद्देश्य से बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों, फरसा, लोहे की सरिया एवं बन्दूक की बटों से मारकर 06 लोगों को घायल कर दिया व डकैती डालकर दस लाख के पुश्तैनी कीमती जेवर व अन्य सामान साथ ले गये। दिनांक 24.03.2008 को गम्भीर रूप से घायल सुरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-193/2008 में भा0द0वि0 की धारा-396, 412 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-03, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 20.09.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.04.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी के स्वस्थ होने, कारित अपराध जघन्य होने व सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 11/12.03.2008 को लूट के उद्देश्य से बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों, फरसा, लोहे की सरिया एवं बन्दूक की बटों से मारकर 06 लोगों को घायल कर दिया व डकैती डालकर दस लाख के पुश्तैनी कीमती जेवर व अन्य सामान साथ ले जाने एवं दिनांक 24.03.2008 को गम्भीर रूप से घायल सुरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजय पुत्र श्री कालीचरन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।